

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमि



विपणन प्रभाग

भूमि की खरीद के लिए विज्ञापन

इंडियन ऑयल कॉपॉरेशन लिमिटेड को छत्तीसगढ़ राज्य में रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के लिए भूमि की आवश्यकता

छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित स्थलों पर रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पूर्णतः बिक्री/पट्टे पर (न्यूनतम 15 वर्ष के साथ नवीनीकरण का विकल्प) भूखण्ड हस्तान्तरण हेतु इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि को वैध और स्पष्ट विपणन योग्य भूमि के स्वामित्व वाली इच्छुक पार्टियों से दो अलग-अलग लिफाफों में (एक स्थल के तकनीकी विवरण वाला और त्यारा वित्तीय प्रस्ताव वाला) प्रदर्शत प्रस्ताव आपंत्रित है।

क्र. सं.	लोकेशन का नाम	जिला	न्यूनतम भूखंड का आयाम मीटर में	
			अग्रभाग	गहराई
9.	दुर्ग बालोद मार्ग पर, कि.मी. स्टोन सं. 52 से 57 तक	बालोद	35	35
2	एनएच-111 (विलासपुर-कोरबा रोड) पर रानीगाँव के 3 कि.मी. के अंदर	बिलासपुर	45	45
3	अकलतारा में मिनी-माता चौक से 5 कि.मी. के भीतर, एनएच-49 पर बिलासपुर की ओर	जांजगीर-चाम्पा	45	45
4	नये प्रस्तावित बाईपास पर पेंद्रिदि से मस्तुरी तक	बिलासपुर	35	35
5	एनएच-63 पर गीदम चौक, 5 कि.मी. तक जगदलपुर की ओर	दन्तेवाड़ा	45	45
6	कोरबा टाउन में घंटाघर चौक से रिस्दी चौक तक	कोरबा	20	20
7	संकरा बाईपास एनएच-53 (पुराने एनएच-6) (4 लेन विभाजित कैरिवे) पर	महासमुन्द	45	45
8	रायपुर (म्युनिसिपल सीमा के अंदर)	रायपुर	20	20
9	दुर्ग (म्युनिसिपल सीमा के अंदर)	दुर्ग	20	20
10	एनएच-200 पर, खरसिया बाईपास	रायगढ्	45	45
11	जशपुर (म्युनिसिपल सीमा के अंदर)	जशपुर	20	20
12	बलोदा बाजार बाईपास	बलोदा बाजार	45	45
13	धमतरी (म्युनिसिपल सीमा के अंदर)	धमतरी	20	20
14	बिलासपुर (म्युनिसिपल सीमा के अंदर)	ब्रिलासपुर	20	20

निम्नलिखित कृपया नोट किया जाये:

- राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित भूमि टोल ब्रिज/राष्ट्रीय राजमार्ग– राज्य राजमार्ग– प्रमुख जिला रोड क्रॉसिंग से 1 कि.मी. के दायरे के अंदर नहीं होनी चाहिए और इसे निकटतम मौजूदा किसी समान स्थल पर रिटेल आउटलेट से कम से कम 1 कि.मी. की दूरी पर शहरी/कस्बा सीमाओं के अंदर/(WML=नगरपालिका सीमा के अंदर), छोटे आयामों के भूखंडों पर विचार किया जा सकता है,
- बशर्ते वे प्रदान किये गये रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये उपयुक्त हैं। शहरी/करबा सीमाओं के अंदर/(WML) (और जहाँ कोई स्क्रेच निर्दिष्ट नहीं है) के रूप में नामित स्थानों के लिए, एक से अधिक
- स्थल/स्थल संभावना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अधीन लिया जा सकता है।
- भूमि के भूखण्ड का फ्रंटेज भूमि के भूखण्ड तक उचित पहुँच मार्ग के साथ मुख्य रोड के साथ सटा हुआ होना चाहिए। निविदाकार सभी सांविधिक मंजूरियाँ जैसे शहरी भूमि सीलिंग, गैर कृषि रूपांतरण/परिवर्तन, आयकर निकासी, गैर-ऋणग्रस्तता
- प्रमाणपत्र आदि के लिए व्यवस्था करेगा। भूमि वरीयतः समतल, जहाँ तक संभव हो सड़क स्तर पर, एक लगातार भूखण्ड के रुप में होनी चाहिए।
- भूखण्ड ओवर-हेड हाई टेंशन पॉवर लाइन, उत्पाद/पानी की पाइपलाइन/नहर्रो/ड्रेनेज/नार्लो/सार्वजनिक सड़क/रेलवे लाइन आदि से मुक्त होना चाहिए।
- भूखण्ड सभी प्रकार के ऋण भार/अतिक्रमण/धार्मिक संरचनाओं आदि से मुक्त होना चाहिए। इस आशय के लिए विधिवत नोटरी द्वारा प्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों की पेशकश की जायेगी।
- यदि भूमि के पूरे हिस्से पर एक ही स्वामी का अधिकार नहीं है तो ऐसे स्वामियों का समूह, जिनके भूखण्ड आपस में लगातार हैं और वे हमारी आवश्यकता पूरी करते हैं, तो एक पंजीकृत मुख्तार नामें के धारक के माध्यम से कोट कर सकते हैं। जबकि, इंडियनऑयल केवल मुख्तार नामे के धारके साथ बातचीत करेगा। प्रत्येक मालिक द्वारा पंजीकृत मुख्तार नामे की एक प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाये।
- कृषि भूमि प्रस्तावित करने वाले लोगों को इसे गैर कृषि भूमि में रूपांतरित करने की जरुरत होगी. विशेष रूप से रिटेल आउटलेट/मूल संरचना सुविधाओं तथा अन्य संबद्ध प्रयोजन में उपयोग के लिए वाणिज्यिक रूपांतरण, जो उन्हें अपने व्यय और लागत पर करना
- जिला प्राधिकरण और अन्य सरकारी निकाय भी इस विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। सरकारी भूमि को प्राथमिकता दी जायेगी, यदि उचित पायी जाती है।
- इंडियनऑयल द्वारा अनुमानित रूप में, निम्नलिखित अतिरिक्त लागत निविदाओं के वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए विचार किया जायेगा (1) भूमि के भराव/ठोस बनाने/कर्टिंग सहित रिटेनिंग वॉल/ह्यूम पाइप आदि की लागत और प्रस्तावित स्थल को सड़क के स्तर पर लाने के लिए इनग्रेस/इग्रेस के विकास का व्यय। (II) टेलीफोन/बिजली की लाइनों जैसे अन्य भौतिक पैरामीटरों का विस्थापन/ डालने की लागत।
- ब्रोकर/प्रॉपर्टी डीलर आवेदन नहीं करें। इंडियनऑयल, डाक/फैक्स द्वारा भेजे गये दस्तावेजों की प्राप्ति में देरी, खो जाने या प्राप्त नहीं होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। प्राप्त कोदेशन केवल प्रस्ताव हैं और इनसे इंडियनऑयल पर कोई बाध्यता नहीं होती।
- इंडियनऑयल बिना कोई कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

प्रस्तावों को निम्नलिखित विवरण के साथ जमा किया जाना चाहिए:

प्रस्ताव, भूमि के भूखण्ड के विवरण के साथ विधिवत् हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियाँ दिये गये विवरणों के तहत जमा की जाये:-

- 1) भूमि के स्वामी का नाम
- 2) संपत्ति के विवरण दर्शाने वाली मुख्य योजना, 'मूखण्ड की स्थिति 3) प्रस्तावित बिक्री/पट्टे के भूखण्ड के आयामों के साथ क्षेत्रफल
- 4) 'P-I&II की प्रति या इसका समकक्ष अर्थात खतौनी, ऋण पुस्तिका, जामाबंदी, खसरा, गिरदावारी आदि और शीर्षक विलेख अर्थात बिक्री विलेख आदि जिसमें सत्यापित/प्रमाणित सत्य प्रति के रुप में स्वामित्व के विवरण जमा किये जायें
- 5) मुख्तार नामा धारक द्वारा पंजीकृत मुख्तार नामे की प्रति जमा की जाये

इसके अलावा, प्रस्ताव में निम्न विवरणों को भी शामिल करना चाहिए:

- 1) प्रस्ताव बिक्री या पट्टे के लिए है या बिक्री या पट्टे के लिए है
- बिक्री के मामले में अपेक्षित बिक्री मल्य रुपये में बताया जा
- 3) पट्टे के मामले में प्रतिमाह अपेक्षित पट्टा किराया रुपये में। न्यूनतम पट्टे की अवधि 15 वर्ष, नवीनीकरण विकल्प के साथ किसी दस्तावेज/निर्दिष्ट विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है।

प्रस्ताव, उपरोक्त उल्लेखित विवरण के साथ एक लिफाफे में डालना जरुरी है और विधिवत सील करके 'भूमि के लिए

इच्छुक पार्टियाँ निर्धारित तिथि और समय तक निम्नलिखित पते पर आवेदन करें:

प्रस्ताव,.....' (स्थान का नाम और जिला) के रूप में अभिलेख करें।

वरिष्ठ मंडल खुदरा ब्रिकी प्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर मंडल कार्यालय, इंडियनऑयल भवन, (वीआईपी रोड), पोस्ट ऑफिसः राजीव गांधी मार्ग, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़-492006

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 18.07.2017 को 17:15 बजे है। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। जमा किये गये प्रस्ताव निर्धारित तिथि या उक्त आगे बढ़ाई गयी अवधि से 150 दिनों की अवधि तक वैध होंगे, जैसा आपसी सहमति से तय किया जाये।

यह विज्ञापन हमारी कंपनी की वेबसाइट www.iocl.com पर भी उपलब्ध है।







